

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्था./2/स.का.नियु./9/2011 पार्ट/36969-37010

दिनांक 16/12/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा सहायक कारापाल पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 34 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा में सहायक कारापाल परिवर्तित पदनाम उप कारापाल के पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय नियत पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त उप कारापाल को एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 26.12.2017 को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थिति प्रदान करेंगे :-

क्र.सं.	नाम आशार्थी मय पिता का नाम	मैरिट क्रमांक	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	अभ्यर्थी का स्कैनड फोटो
1	गंगाराम पुत्र सुखराम	3	BC	GENM	15-10-1993	
2	सुरज नारायण पुत्र जगदीश प्रसाद	5	BC	GENM	02-09-1989	
3	सुखाराम पुत्र किशनाराम	6	BC	GENM	05-10-1986	
4	हड़वन्त सिंह पुत्र भीम सिंह	8	GE	GENM	05-07-1990	
5	स्वरूप सिंह बिठू पुत्र हरीसिंह बिठू	9	GE	GENM	01-06-1989	



6	विकास बागोरिया पुत्र सुवालाल बागोरिया	10	SC	GENM	11-08-1991	
7	धारासिंह चौहान पुत्र नन्द लाल	12	BC	GENM	09-01-189	
8	अभिषेक ओला पुत्र रामचन्द्र ओला	17	BC	GENM	26-05-1991	
9	रविन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र घनश्याम शर्मा	18	GE	GENM	25-07-1989	
10	रामेश्वर लाल जाट पुत्र मन्ना लाल जाट	20	BC	GENM	11-11-1985	
11	विक्रम सिंह पुत्र रामचन्द्र	21	BC	GENM	13-09-1992	
12	सददाम हुसैन पुत्र इस्लाम खाँ	22	BC	OBCM	01-10-1990	
13	गणेशदान पुत्र सुमेर दान	25	BC	OBCM	05-02-1992	
14	कुलदीप सिंह पुत्र कालूराम	26	BC	OBCM	30-06-1989	



15	नवनीत घोटिया पुत्र राजेन्द्र सिंह घोटिया	28	BC	OBCM	16-02-1984	
16	मुकेश जारोटिया पुत्र मांगीलाल	30	SC	SCM	07-04-1988	
17	मुकेश भाटी पुत्र अमर सिंह	31	SC	SCM	03-09-1984	
18	देवेन्द्र सिंह मीना पुत्र मुन्शी लाल मीना	32	ST	STM	11-01-1993	
19	सुषमा सैन पुत्री घनश्याम दास वर्मा	33	BC,WE	GENF	14-08-1987	
20	ओमप्रकाश पुत्र मुरलीधर	34	SC	SCM	20-08-1990	
21	धीरज कुमार कक्कड़ पुत्र स्व. कैलाशचन्द कक्कड़	35	SC	SCM	12-08-1988	
22	दिव्या चौधरी पुत्री राजूलाल चौधरी	37	BC,WE	GENF	16-03-1989	
23	सतेन्द्र पुत्र लक्ष्मण सिंह	39	SC	SCM	02-08-1989	
24	अमराराम भाटी पुत्र रामदेव भाटी	40	SC	SCM	01-07-1986	



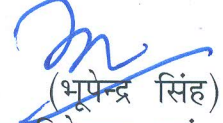
25	प्रियंका चौधरी पुत्री सागरमल चौधरी	41	BC,WE	GENF	30-05-1986	
26	रोशन लाल मीना पुत्री कलुवा राम मीना	42	ST	STM	07-08-1984	
27	किशन मीना पुत्र शंकर लाल मीना	43	ST	STM	01-07-1985	
28	मुकेश कुमार मीना पुत्र कल्याण प्रसाद मीना	46	ST	STM	07-05-1988	
29	हिना पुत्री अब्दुल कलाम खान	47	BC,WE	GENF	14-05-1987	
30	सुमन कुमारी पुत्री धीर सिंह धीवां	48	BC,WE	GENF	10-05-1989	
31	हेमन्त सालवी पुत्र शंकर लाल सालवी	49	TSP-SC	TGEM	09-05-1986	
32	कविता बिश्नोई पुत्री रामस्वरूप बिश्नोई	50	GE,WE	GENF	09-02-1990	
33	जयकिशन उपाध्याय पुत्र अशोक उपाध्याय	51	GE	TGEM	28-06-1989	

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रुपये 18500/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही उप कारापाल पद का पे मेट्रिक्स के लेवल-8 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा



- प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
 3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
 4. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
 5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
 6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
 7. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।
 8. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।
 9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-11/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
 10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
 11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।
 12. आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।
 13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अध्याधीन है।

14. आशार्थियों को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
15. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 26.12.2017 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावे।
16. आवश्यक निर्देश संलग्न है।


(भूपेन्द्र सिंह)

अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पत्र क्रमांक 116 दिनांक 27.06.2017, 533 दिनांक 13.07.2017 एवं 715 दिनांक 24.08.2017 के संदर्भ में।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रैंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर ।
4. निजी सचिव, अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
5. अति. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त आशार्थियों से उपरोक्तानुसार वर्णितानुसार शपथ पत्र/बन्धक पत्र अनिवार्य रूप से लेवें। यदि किसी आशार्थी की संतानों की संख्या दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् दो से अधिक है तो उसे ड्यूटी पर न लिया जाकर अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करावें व इनकी उपस्थिति सूचना इस कार्यालय को भिजवावे।
7. उपाधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।
8. संबंधित आशार्थी।
9. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षक पत्रावली


अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर
15/12

आवश्यक निर्देश

विशेष:- प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होते समय अपने साथ निम्नांकित सामान तथा मैस अग्रिम राशि जमा कराने हेतु न्यूनतम रूपये 2500/-, स्वयं के कपड़े एवं बिस्तर, छः पासपोर्ट साईज फोटो एवं अन्य सामान व मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ लेकर आये:-

अन्य सामान

पुरुषों के लिये

महिलाओं के लिये

1	खाकी ड्रील पेन्ट - दो नग	1	सफेद सलवार - दो नग
2	सफेद ड्रील हाफ पेन्ट - दो नग	2	कॉलरदार सफेद कुर्ता हाफ आस्तीन - दो नग
3	सफेद टी शर्ट - दो नग	3	सफेद चुन्नी- एक नग
4	पुलिस पैटर्न का खाकी कमीज - दो नग	4	पी.टी. शूज सफेद- एक जोड़ी
5	पी.टी. शूज - एक-एक जोड़ी (सफेद व ब्राउन)	5	सफेद मौजे- दो जोड़ी
6	नाईलोन मौजे सफेद व खाकी- एक-एक जोड़ी	6	खाकी फुल पेन्ट- 2 नग (पीछे जेब न हो और मोहरी 20 इन्च हो)
7	खाकी बैरट कैप - एक	7	खाकी कमीज पुलिस पैटर्न- दो नग
8	जूते चमड़े के लैसदार- एक जोड़ी (ब्राउन कलर के ड्रिल हेतु)	8	बैरट कैप खाकी- एक नग
		9	जूते चमड़े के लैसदार- एक जोड़ी (ब्राउन कलर के ड्रिल हेतु)

अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर